रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022021-225288
CG-DL-E-19022021-225288

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 2021/माघ 30, 1942
No. 61] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2021/MAGHA 30, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2021

मामला सं. एडी-एसएसआर 01/2021

विषय : चीन जन.गण.के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "1,1,1,2-टेट्रफ्लुओरोहेथेन या आर -134 ए" के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत के संबंध में।

फा. सं. 7/1/2021-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली या एडी नियम भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से मै. एसआरएफ लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे ''आवेदक'' भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित **"1, 1, 1, 2-**टेट्रफ्लुओरोहेथेन या आर **-134** ए**"** (जिन्हें यहां ''संबद्ध वस्तु'' या ''विचाराधीन उत्पाद'' भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के विस्तार और वृद्धि हेतु निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत के लिए का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक मै. एसआरएफ लिमिटेड ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटन पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद भी जारी है । आवेदक ने यह भी दावा किया है कि शुल्क लागू होने के बावजूद आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है और पाटन तथा परिणामी क्षति के कारण घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है । आवेदक ने यह भी दावा किया है कि यदि मौजूदा शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है तो संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने की संभावना है ।

3. अधिनियम की धारा 9क (5) की शर्तों में, लागू पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले समाप्त न कर दिया जाए, ऐसे लागू किए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा और प्राधिकारी द्वारा यह समीक्षा करना जरुरी है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृति की संभावना है । इसके अनुसरण में, प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग या उसकी ओर से किए गए विधिवत अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा किया जाना जरुरी है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति की संभावना है ।

4. आवेदक ने याचिका में संगत सूचना उपलब्ध कराई है । याचिका की सूचना के पर्याप्तता और पाटन के साक्ष्य तथा जांच की शुरुआत को न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए परिणामी क्षति की जांच की गई है । चूंकि, याचिका विधिवत प्रलेखित है और पाटन के तथा परिणामी क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य अंतर्निहित हैं साथ ही यदि विद्यमान शुल्क को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है, तो पाटन और क्षति की संभावना के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य शामिल हैं, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं ।

<u>पिछली पाटनरोधी शुल्क जांच की पृष्ठभूमि</u>

5. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2009 को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत की गई थी । प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम सं. 14/24/2009-डीजीएडी दिनांक 10 मई, 2011 के परिणामों के अनुसार अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी और वित्त मंत्रालय ने दिनांक 15 जुलाई, 2011 की अधिसूचना सं. 61/2011-सीमाशुल्क (एडीडी) के अनुसार अनंतिम शुल्क लागू किया था । प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच अधिसूचना सं. 15/23/2014-डीजीएडी दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित समीक्षा जांच की शुरुआत की गई थी । प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम सं. 15/23/2014-डीजीएडी दिनांक 30 मई, 2016 के परिणामों के अनुसार अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी और वित्त मंत्रालय ने दिनांक 11 जुलाई, 2016 की अधिसूचना सं. 30/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) के अनुसार अनंतिम शुल्क लागू किया था । उक्त शुल्क 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किए गए थे।

<u>विचाराधीन उत्पाद</u>

6. आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "1, 1, 1, 2-टेट्राफ्लूरोएथीलीन या आर-134ए" है । यह आवेदन लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने के लिए है । विचाराधीन उत्पाद पहले की गई जांच में यथापरिभाषित के समान है जिसमें अंतिम जांच परिणाम में उसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया था :

"*9. मूल जांच में पीयूसी निम्नानुसार परिभाषित था :*

51. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 1,1,1, 2- टेट्राफ्लूरोएथीलीन या आर-134ए के सभी प्रकार हैं । आर-134ए को टेट्राफ्लूरोएथीलीन, एचएफए134ए, सुआ 134ए या एचएफसी 134ए, एएफए-134ए और नोरफ्लूरेन भी कहा जाता है । यह एक होलोअल्केन रेफ्रीजरेंट है जिसमें आर-12 (डाइक्लोरोडीफ्लूरोमेथीलीन) के समान थर्मोडायनमिक विशेषताएं होती हैं परंतु यह ओजोन क्षतिकारी संभावना के बिना है । रासायनिक सूत्र सीएच2एफसीएफ3 है और क्वथनांक -26.3 डिग्री सेल्सियस (-15.34 डिग्री एफ) है । यह एक अक्रिय गैस है जिसका प्रयोग घरेलू फ्रिज के लिए उच्च तापमान रेफ्रीजरेंट और आटोमोबाइल एयरकंडीशनर में प्राथमिक रुप से होता है । संबद्ध वस्तु के अन्य प्रयोगों में शामिल हैं –प्लास्टिक फोम ब्लोविंग क्लीनिंग सोल्वेंट के रुप में और भेषजों (उदाहरणार्थ ब्रोकोडाइलेटर) की डिलीवरी हेतु प्रोपलेंट के रुप में, गैस डस्टर और एयर ड्रायर में कम्प्रेस्ट एयर से आर्द्रता हटाने के लिए ।

52. संबद्ध वस्तु का आयात सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय-29 के उपशीर्ष सं. 2903 के अधीन उपशीर्ष 29033919 के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन की हेलोजिनेटिड व्युत्पत्तियों के रुप में भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलीकृत वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली पर आधारित) के अधीन अन्य फ्लोरिनेटेड व्युत्पत्तियों के रुप में आयातित किया जा रहा है। तथापि, याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई समर्पित सीमाशुल्क वर्गीकरण कोड नहीं है और इसका आयात विभिन्न अन्य सीमाशुल्क उपशीर्षों के अधीन किया जा रहा है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

10. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच में पहले अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम में विचाराधीन उत्पाद के दायरे के समान रहेगा। वर्तमान एसएसआर आवेदन में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) मूल जांच के अनुसार "1,1,1,2- टेट्राफ्लूरोएथीलीन" जिसे "आर-134ए" के रुप में भी जाना जाता है।

14. ...... तथापि, सीजीएमपी अनुमोदित फार्मा ग्रेड को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है क्योंकि इसे न तो घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और न ही संबद्ध देश से आयातित किया गया है।

7. उत्पाद को अध्याय 29 में शीर्ष 2903 के तहत वर्गीकृत किया गया है, "हाइड्रोकार्बन के हलोजनयुक्त अणु", 29033919 को "अन्य द्रवित अणुओं" के रुप में अधीन किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान आवेदन और प्रस्तावित समीक्षा जांच के दायरे में बाध्यकारी नहीं है।

<u>समान वस्तु</u>

8. आवेदकों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। यह कहा गया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तुओं में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं है। आवेदकों ने दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और व्यापारिक रुप से प्रतिस्थापनीय हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के 'समान वस्तु'माना गया है।

<u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

9. आवेदन मेसर्स एसआरएफ लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। यह ध्यान दिया जाता है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के कोई अन्य उत्पादक नहीं हैं। आवेदक द्वारा उत्पादन, इस तरह के उत्पाद के घरेलू उत्पादन का 100% बनता है। आवेदकों ने दावा किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है न ही वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित हैं। उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि आवेदन नियमावली के नियम 2(ख) 5(3) की शर्तों "घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से" के अनुसार किया गया है।

<u>संबद्ध देश</u>

10. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में शामिल देश चीन जन.गण. है।

<u>जांच की अवधि</u>

11. वर्तमान जांच में जांच की अवधि 1 अक्टूबर, 2019 से 30 सितंबर, 2020 (12 महीने) की है। क्षति जांच अवधि में जांच की अवधि और पूर्ववर्ती तीन वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 की अवधियां शामिल होंगी। प्राधिकारी याचिकाकर्ता तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के पीओआई पश्चात 6 महीनों के आंकडों की जांच भी करेंगे कि क्या वर्तमान एडीडी शुल्कों को समाप्त करने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृति होने संभावना है।

<u>चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य</u>

12. आवेदक ने बताया है कि सामान्य मूल्य को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अनुपालन में बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या

परिकलित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयास किए गए थे । तथापि, इसके संबंध में सत्यापन योग्य साक्ष्य या प्रकाशित सूचना है । अत: आवेदक ने संबद्ध देश में सामान्य मूल्य भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से संबद्ध वस्तु की आयात कीमत के आधार पर निर्धारित किया है । प्राधिकारी ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत को आयात कीमत पर विचार किया है । इस पद्धति का सेस्टेट द्वारा भी समर्थन किया गया है (क्विटुन जिनजियांग कैमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमि. के मामले में) आवेदक ने कारण बताए हैं कि क्यों यूएसए एक समुचित देश है । विधित उपबंध और सेस्टेट के आदेश पर विचार करते हुए भारत को यूएसए से आयात कीमत पर विचार करना उचित होगा ।

चीन जन.गण. के लिए निर्यात कीमत

13. आवेदकों ने डी जी सी आई एंड एस से संग्रहित सूचना के आधार पर आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करने के बाद संबद्ध आयातों की निर्यात कीमत का निर्धारण किया है । समुद्री भाडा, समुद्री बीमा,कमीशन, बैंक प्रभारों, पत्तन व्ययोंअंतरदेशीय भाड़ा और वैट रिफंड के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं ।

पाटन मार्जिन

14. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जो प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों से पीयूसी के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है । इस बात के प्रथमदृष्टया प्रमाण हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध देशों से पीयूसी पाटित किया जा रहा है जो लगातार पाटन की संभावना की ओर संकेत करता है ताकि जांच की शुरुआत को न्यायसंगत ठहराया जा सके ।

क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृति की संभावना

15. इस बात के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद पाटित कीमतों पर संबद्ध देश से निर्यात किया गया है, अत: उत्पाद के लगातार पाटन को दर्शाता है, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक है, घरेलू उद्योगों ने लगातार क्षति का सामना किया है और पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति के और गहन होने की संभावना है ।

निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

16. आवेदकों के विधिवत रुप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने पर तथा घरेलू उद्योग द्वारा पाटन और क्षति के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना को सिद्ध करते हुए प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर और नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी एतत् द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं ताकि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और यह जांच की जा सके कि क्या ऐसे शुल्क के समाप्त होने से पाटन और घरेलू उद्योग की क्षति को जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

प्रक्रिया

17. इस समीक्षा में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करने वाली दिनांक 30 मई, 2016 की अधिसूचना सं. 15/23/2014-डीजीएडी के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल होंगे । प्राधिकारी यथा अनिवार्य पाटन और क्षति का संभावित विश्लेषण भी करेंगे ।

18. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे ।

सूचना प्रस्तुत करना

19. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg15-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in, jd14-dgtr@gov.in तथा ac11-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिएं ।

20. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है ।

21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

<u>समय-सीमा</u>

23. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के को ध्यान में रखते हुए वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर ईमेल पतों adg15-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in, jd14-dgtr@gov.in तथा ac11-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए । तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना तथा अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा जब उसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिया गया था। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरुप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है ।

<u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी की गई व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है ।

26. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

27. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रुप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

28. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रुप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रुप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

29. अगोपनीय रुपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रुपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों सभव नहीं है।

30. प्रस्तुत सूचना के स्वरुप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रुप में अथवा सारांश रुप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

31. सार्थक अगोपनीय रुपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

32. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरुरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

33. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता हैजिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं । सार्वजनिक फाइल को इलेक्ट्रॉनिक मोड में बनाए रखने की विधि पर काम किया जा रहा है।

असहयोग

34. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरुप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2021

Case No. AD-SSR 01/2021

Subject : Initiation of Sunset Review investigation concerning imports of "1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a originating in or exported from China PR-reg.

F. No. 7/1/2021-DGTR.—Having regards to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules or AD Rules), M/s SRF Limited (hereinafter referred to as the "applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") for initiation of sunset review investigation for extension of anti-dumping duty on imports of "1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a" (hereinafter referred to as the "subject goods" or "product under consideration") originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the "subject country").

2. The applicant M/s. SRF Limited has alleged that dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country has continued even after the imposition of anti-dumping duty. The applicant has also claimed that there has been significant increase in the volume of imports despite imposition of the duty and the performance of the domestic industry has been adversely affected because of dumping and consequent injury. The applicant has further claimed that there is a likelihood of continuation of dumping of the subject goods originating and exported from the subject county and consequent injury to the domestic industry if the existing duty is allowed to expire.

3. In terms of Section 9A (5) of the Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. The applicant has provided relevant information in the petition. The petition has been examined for sufficiency of information and evidence of dumping and consequent injury to justify initiation of investigation. Since the petition is duly documented and contains sufficient prima facie evidence of dumping and consequent injury as well as sufficient prima facie evidence of likelihood of dumping and injury if the existing duty is allowed to expire, the Authority initiates the sunset review investigation of the anti dumping duty already imposed on the imports of the subject goods originating and exported from the subject county.

Background of previous anti-dumping duty investigation

5. An anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated on 19th August, 2009 by the Authority. Thereafter, vide Final Findings No. 14/24/2009-DGAD dated 10th May, 2011, the Authority recommended imposition of definitive anti-dumping duties on imports of the subject goods from the subject country, which were implemented vide Notification No. 61/2011-Customs (ADD) dated 15th July, 2011. The Authority initiated sunset review investigation vide Initiation Notification No. 15/23/2014-DGAD dated 10th April, 2015 and recommended continued imposition of anti-dumping duties vide Notification No. 15/23/2014-DGAD dated 30th May, 2016, on imports of the subject goods originating in or exported from the subject country. Accordingly, the Central Government issued a Notification No. 30/2016-Customs (ADD) dated 11th July, 2016 imposing the duties. The said duties were levied for a period of 5 years.

Product under Consideration

6. The product under consideration in the Application is "1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a". The application is for review and continuation of anti-dumping duties in force. The product under consideration is the same as defined in the previously conducted investigation, which was defined as follows in the Final Findings

"9. In the original investigation, the PUC was defined as follows:

51. The product under consideration in the present investigation is 1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a of all types. R-134a, is also called as Tetrafluoroethane, Genetron 134a, Suva 134a or HFC-134a, HFA- 134a, and Norflurane. It is a haloalkane refrigerant with thermodynamic properties similar to R-12 (dichlorodifluoromethane), but without its ozone depletion potential. It has the chemical formula CH2FCF3, and a boiling point of −26.3 °C (−15.34 °F). It is an inert gas used primarily as a high temperature refrigerant for domestic refrigeration and automobile air-conditioners. Other uses of the subject goods include plastic foam blowing, as a cleaning solvent and as a propellant for the delivery of pharmaceuticals (e.g. bronchodilators), gas dusters, and in air driers, for removing the moisture from compressed air.

52. The subject goods are being imported under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under subheading 2903 under "Halogenated Derivatives of Hydrocarbons", under subheading 29033919 as "Other Fluorinated Derivatives", under the Indian Trade Classification (based on Harmonized Commodity Description and Coding System). The petitioner has, however claimed that the product under consideration does not have any dedicated customs classification code and are being imported under various other Customs sub-headings. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

10. The scope of the product under consideration in the present sunset review investigation remains the same as the scope of the product under consideration in the final findings earlier notified in the original investigation. The product under consideration (PUC) in the present SSR application, as in the original investigation, is "1,1,1,2- Tetrafluoroethane" also known as "R-134a".

14. …….However, the cGMP approved pharma grade is excluded from the purview of the PUC, since the same is neither produced by the domestic industry nor imported from the subject country."

7. The product is classified under Chapter 29 in heading 2903, "Halogenated Derivatives of Hydrocarbons", under subheading 29033919 as "Other Fluorinated Derivatives". The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present application and the proposed review investigation.

Like Article

8. The applicant has claimed that the there are no known differences in the subject goods produced by domestic industry and that exported from the subject country. It has been stated that there is no significant difference in the subject goods produced by the applicant and those exported from the subject country. The applicant claims that the two are technically and commercially substitutable. For the purpose of the proposed investigation, the subject goods produced by the applicant is being treated by the Authority as 'like article' to the subject goods being originating in or exported from the subject country.

Domestic Industry & Standing

9. The Application has been filed by M/s SRF Ltd. It is noted that there are no other producers of the product under consideration in India. The production by the Applicant constitutes 100% of the domestic production of the like article. The Applicant has claimed that it is not related to an exporter or producer of the subject goods in the subject country or an importer in India either directly or indirectly within the meaning of Rule 2(b) of Anti-Dumping Rules. In view of the same, it is concluded that the application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3), and the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b).

Subject Country

10. The subject country involved in the present sunset review investigation is China PR.

Period of Investigation

11. The period of investigation in the present investigation is the period from 1st October, 2019 to 30th, September, 2020 (12 months). The injury analysis period will cover the period of investigation and the preceding three years 2017-18, 2018-19 and 2019-20. The authority would also examine the post POI data of 6 months of the petitioner and other interested parties to examine whether the expiry of existing ADD duties are likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.

Normal Value for China PR

12. The Applicant has submitted that the Normal Value should be determined as per Para 7 of Annexure I of the Anti-Dumping Rules, 1995. Pursuant to the same, efforts were made to determine normal value on the basis of price or constructed value in a market economy third country. However, there is verifiable evidence or published information regarding the same. Therefore, the applicant has determined normal value in the subject country on the basis of import price of the subject goods from the United States of America to India. The Authority has considered import price from market economy third country to India. This methodology has been upheld by the CESTAT as well (in the matter of Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd.). The applicant has given reasons why USA is an appropriate country. Considering the legal provision and CESTAT order, it would be appropriate to consider import price from USA to India.

Export Price for China PR

13. Export price of the subject imports has been determined by considering volume and value of imports based on the DGCI&S. Price adjustments have been made on account of Ocean freight, Marine insurance, Commission, Bank charges, Port expenses, Inland freight and VAT refund.

Dumping Margin

14. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows dumping margin is above the de-minimis level in respect of the PUC from the subject country. There is sufficient prima facie evidence that the PUC from subject country is being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country, thus indicating likelihood of continued dumping so as to justify initiation of investigation.

Likelihood of continuation or recurrence of Injury

15. There is prima facie evidence that the product under consideration has been exported from the subject country at dumped prices, thus showing continued dumping of the product; the dumping margin and injury margin are positive and significant; the domestic industry has suffered continued injury and injury to the domestic industry is likely to intensify in the event of cessation of anti-dumping duty.

Initiation of Sunset Review Investigation

16. On the basis of the duly substantiated application of the applicants, and having satisfied itself on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Procedure

17. The review investigation will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. 15/23/2014-DGAD dated 30th May, 2016 recommending imposition of anti-dumping duty on the imports of subject goods from subject country. The Authority will also undertake likelihood analysis of dumping and injury as required.

18. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

19. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Authority via email at the email addresses adg15-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in, jd14-dgtr@gov.in, and ac11-dgtr@gov.in.

20. The known producers/exporters in the subject country, its governments through its embassy in India, the importers and users in India known to be connected with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set below.

21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within in the time limit set out below.

22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to other interested parties.

Time Limit

23. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses adg15-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in, jd14-dgtr@gov.in, and ac11-dgtr@gov.in within 30 days from the date of the receipt of the notice as per rue 6 (4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rules, the notice calling for information and other documents shall be deemed to be have been received within one week from the date on which it was sent by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its finding on the basis of the facts available on records in accordance with the Rules.

24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

25. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of

Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

26. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto) before the Authority, including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

27. The “Confidential” or “Non-confidential” submissions must be clearly marked as “Confidential” or “Non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be a liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

28. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

29. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

30. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

31. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

32. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

33. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

Non-cooperation

34. In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.02.19 22:58:49 +05'30'